मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- सीतापुर,तहसील:- सिधौली

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 02221/2018

मानव विकास एवं सेवा संस्थान द्वारा सचिव श्री कृष्णगोपाल सिंह बनाम जितेन्द्र कुमार आदि

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201810640502221

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 16/03/2019

अंतिम आदेश

निर्णय

मानव विकास एवं सेवा संस्थान 261 हिन्दनगर कानपुर रोड लखनऊ द्वारा सचिव श्री कृष्णगोपाल सिंह पुत्र स्व0 कन्हैयाबक्श सिंह निवासी म0नं0 10 लिटिल हाउस कानपुर रोड लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत कर कहा गया है कि गाटा संख्या 457 रकबा 0.954 है0 लगानी 23.40 रू0 व गाटा संख्या 458 रकबा 0.425 है0 लगानी 15.00 रू0 स्थित ग्राम जजौर परगना मनवाँ तहसील सिधौली बतौर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 जितेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण बिहारी निवासी अम्बरपुर परगना मनवाँ तहसील सिधौली व शिवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी 68/126 निकट नेहरू पार्क खिलवापुर पञ्जाब लालकुआँ तहसील व जिला लखनऊ के नाम संयुक्त रूप से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या 457/0.954 है0 में से वादी का 3/4 अंश (0.7155) प्रतिवादी संख्या 1 जितेन्द्र कुमार का 1/4 अंश (0.2385) होता है व गाटा संख्या 458/0.425 है0 में से वादी का 2/3 अंश (0.2833) प्रतिवादी संख्या 2 शिवेन्द्र सिंह का 1/3 अंश (0.1416) होता है। गाटा संख्या 457 व 458 में वादी का कुल अंश 0.9988 है0 होता है। गाटा संख्या 457 व 458 मेंड़ मिलाप है। वादी अपने अंश पर कृषि कार्य से इतर शिक्षण कार्य हेतु विद्यालय निर्माण कार्य कर लिया है जो बाहमी बँटवारे के अनुसार है। वादी ने सम्पूर्ण अंश 0.9988 पर अपनी चहारदीवारी खड़ी कर ली है नक्शे के अनुसार चिन्हित भूमि पर विद्यालय बना लिया है। अन्त में वादीय भूमि गाटा संख्या 457/0.954 है0 में से 0.7155 है0 व गाटा संख्या 458/0.425 है0 में से 0.2833 है0 कुल रकबा 0.9988 है0 अंश स्थित ग्राम जजौर परगना मनवाँ तहसील सिधौली को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार सिधौली से जाँच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सिधौली ने जाँच आख्या दिनांक 15.05.2018 में अभिलिखित किया है कि ग्राम जजौर परगना मनवाँ तहसील सिधौली की खतौनी वर्ष 1421 से 1426 फ0 की खाता संख्या 42 की गाटा संख्या 457/0.954 है0 पर मानव विकास एवं सेवा संस्थान 261 हिन्दनगर कानपुर रोड लखनऊ द्वारा सचिव श्री कृष्णगोपाल सिंह पुत्र स्व0 कन्हैयाबक्श सिंह व जितेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण बिहारी निवासी ग्राम अम्बरपुर परगना मनवाँ तहसील सिधौली नाम तथा खाता संख्या 349 गाटा संख्या 458/0.425 है0 पर मानव विकास एवं सेवा संस्थान व शिवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी 68/126 निकट नेहरू पार्क खिलवापुर पञ्जाब लालकुआँ तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या 457 रकबा 0.954 है0 में प्रार्थी का 3/4 अंश 0.715 है0 तथा गाटा संख्या 458 रकबा 0.425 है0 में 2/3 अंश 0.283 है0 कुल रकबा 0.998 है0 होता है। दोनों गाटा 457 व 458 मेंड़ मिलाप है। प्रार्थी ने अपने कुल अंश पर चहारदीवारी का निर्माण कर लिया जिसमें आर्य कुल विद्यालय की बिल्डिंग 0.243 है0 पर दो मंजिल की छत पड़ चुकी है 0.182 है0 पर स्टोर रूम तैयार किया गया है 0.041 है0 पर कैन्टीन की बिल्डिंग निर्माणाधीन है 0.025 है0 पर पानी की टंकी की व्यवस्था की जा रही है। बगल में मीटिंग हाल निर्माणाधीन है शेष भूमि विद्यालय की अन्य उपयोग खाली पड़ी है। सम्पूर्ण रकबा 0.998 है0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि गाटा संख्या 457/0.715 है0, 458/0.283 है0 कुल रकबा 0.998 है0 (भूमि प्रार्थी के अंश की) स्थित भूमि ग्राम जजौर परगना मनवाँ तहसील सिधौली को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

तहसीलदार सिधौली की आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। ग्राम पंचायत जजौर द्वारा ग्राम प्रधान को तथा सहखातेदार जितेन्द्र कुमार को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामील वापस संलग्न पत्रावली है। सहखातेदार शिवेन्द्र सिंह को रजिस्ट्री सम्मन भेजा गया जो वापस नहीं है जिसे सामान्यतया तामील माना गया। सहखातेदार जितेन्द्र कुमार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी परन्तु आपत्ति बलहीन अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते जमा कराये जाने 1 प्रतिशत शुल्क प्रस्तुत किया गया जिस पर लेखपाल से आख्या प्राप्त की गयी। लेखपाल की आख्यानुसार ग्राम जजौर परगना मनवाँ की गाटा संख्या 457 रकबा 0.954 है0 में से 3/4 अंश रकबा 0.715 है0 गाटा संख्या 458 रकबा 0.425 है0 में 2/3 अंश रकबा 0.283 है0 होता है कुल रकबा 0.998 है0 है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट लिस्ट के प्रारूप 4 पृष्ठ सं0 55 क्र0113 कालम 12 के अनुसार ग्राम जजौर की कृषि योग्य भूमि के लिए सर्किल रेट मु0 2600000 रूपये प्रति हेक्टेअर निर्धारित है। इस प्रकार आवेदक की उपरोक्त भूमि 0.999 है0 की कुल मालियत 2597400 रूपये होती है जिसका एक प्रतिशत 25,974 रूपये होता है तदनुसार वादी द्वारा चालान

मण्डल लखनऊ , जनपद सीतापुर , तहसील सिधौली
न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
वाद संख्या- 02221/2018
मानव विकास एवं सेवा संस्थान द्वारा सचिव श्री कृष्णगोपाल सिंह बनाम जितेन्द्र कुमार आदि
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- T201816640502221
अंतर्गत धारा- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि- 14/03/2019
अंतिम आदेश

निर्णय

मानव विकास एवं सेवा संस्थान 261 हिन्दनगर कानपुर रोड लखनऊ द्वारा सचिव श्री कृष्णगोपाल सिंह पुत्र स्व0 कन्हैयालाल सिंह निवासी म0नं0 10 सिद्धेश्वरी हाउस कानपुर रोड लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 दिनांक 07-08-2018 को प्रस्तुत कर कहा गया है कि गाटा संख्या 457 रकबा 0.956 हे0 लगानी 23.40 रू0 व गाटा संख्या 458 रकबा 0.426 हे0 लगानी 15.00 रू0 स्थित ग्राम जजौर परगना मनवां तहसील सिधौली बतौर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 जितेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण बिहारी निवासी अब्बासपुर परगना मनवां तहसील सिधौली व जितेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी 68/126 निकट पहुन पार्क सिकन्दपुर पजावा लालकुआं तहसील व जिला लखनऊ के नाम संयुक्त रूप से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या 457/0.956 हे0 में से वादी का 3/4 अंश (0.717) प्रतिवादी संख्या 1 जितेन्द्र कुमार का 1/4 अंश (0.239) होता है व गाटा संख्या 458/0.426 हे0 में से वादी का 2/3 अंश (0.284) प्रतिवादी संख्या 2 जितेन्द्र सिंह का 1/3 अंश (0.1416) होता है। गाटा संख्या 457 व 458 में वादी का कुल अंश 1.001 हे0 होता है। गाटा संख्या 457 व 458 मेढ़ मिलान है। वादी अपने अंश पर कृषि कार्य से इतर शिक्षण कार्य हेतु विद्यालय निर्माण कार्य कर लिया है जो बाहमी बंटवारे के अनुसार है। वादी ने सम्पूर्ण अंश 1.001 पर अपनी चहारदीवारी खड़ी कर ली है नक्शे के अनुसार निर्मित भूमि पर विद्यालय बना लिया है। अन्त में वादी भूमि गाटा संख्या 457/0.956 हे0 में से 0.717 हे0 व गाटा संख्या 458/0.426 हे0 में से 0.284 हे0 कुल रकबा 1.001 हे0 अंश स्थित ग्राम जजौर परगना मनवां तहसील सिधौली को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार सिधौली से जाँच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सिधौली ने जाँच आख्या दिनांक 15-08-2018 में अभिलिखित किया है कि ग्राम जजौर परगना मनवां तहसील सिधौली की खतौनी वर्ष 1421 से 1426 फ0 की खाता संख्या 42 की गाटा संख्या 457/0.956 हे0 पर मानव विकास एवं सेवा संस्थान 261 हिन्दनगर कानपुर रोड लखनऊ द्वारा सचिव श्री कृष्णगोपाल सिंह पुत्र स्व0 कन्हैयालाल सिंह व जितेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण बिहारी निवासी ग्राम अब्बासपुर परगना मनवां तहसील सिधौली नाम तथा खाता संख्या 349 गाटा संख्या 458/0.426 हे0 पर मानव विकास एवं सेवा संस्थान व जितेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी 68/126 निकट पहुन पार्क सिकन्दपुर पजावा लालकुआं तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या 457 रकबा 0.956 हे0 में प्रार्थी का 3/4 अंश 0.717 हे0 तथा गाटा संख्या 458 रकबा 0.426 हे0 में 2/3 अंश 0.284 हे0 कुल रकबा 1.001 हे0 होता है। दोनों गाटा 457 व 458 मेढ़ मिलान है। प्रार्थी ने अपने कुल अंश पर चहारदीवारी का निर्माण कर लिया जिसमें स्कूल विद्यालय की बिल्डिंग 0.243 हे0 पर दो मंजिल की छत पड़ चुकी है 0.182 हे0 पर स्टोर रूम निर्माण किया गया है 0.041 हे0 पर कैन्टीन की बिल्डिंग निर्माणाधीन है 0.026 हे0 पर पानी की टंकी की व्यवस्था की जा रही है। बगल में मीटिंग हाल निर्माणाधीन है शेष भूमि विद्यालय की अन्य उपयोग खाली पड़ी है। सम्पूर्ण रकबा 1.001 हे0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि गाटा संख्या 457/0.717 हे0, 458/0.284 हे0 कुल रकबा 1.001 हे0 (भूमि प्रार्थी के अंश की) स्थित भूमि ग्राम जजौर परगना मनवां तहसील सिधौली को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

तहसीलदार सिधौली की आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। ग्राम पंचायत जजौर द्वारा ग्राम प्रधान को तथा सहखातेदार जितेन्द्र कुमार को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामील वापस संलग्न पत्रावली है। सहखातेदार जितेन्द्र सिंह को रजिस्ट्री सम्मन भेजा गया जो वापस नहीं है जिसे सामान्यतः तामील माना गया। सहखातेदार जितेन्द्र कुमार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी परन्तु आपत्ति बलहीन अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र चालानी जमा कराये जाने 1 प्रतिशत शुल्क प्रस्तुत किया गया जिस पर लेखपाल से आख्या प्राप्त की गयी। लेखपाल की आख्यानुसार ग्राम जजौर परगना मनवां की गाटा संख्या 457 रकबा 0.956 हे0 में से 3/4 अंश रकबा 0.717 हे0 गाटा संख्या 458 रकबा 0.426 हे0 में 2/3 अंश रकबा 0.284 हे0 होता है कुल रकबा 1.001 हे0 है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट लिस्ट के खण्ड 4 पृष्ठ सं0 55 क्र0 113 कालम 12 के अनुसार ग्राम जजौर की कृषि योग्य भूमि के लिए सर्किल रेट मु0 2600000 रूपये प्रति हेक्टेअर निर्धारित है। इस प्रकार आवेदक की उपरोक्त भूमि 1.001 हे0 की कुल मालियत 2602600 रूपये होती है जिसका एक प्रतिशत 26026 रूपये होता है तदनुसार वादी द्वारा चालान नं0 4602/01/ टी0 इ0 46906 दिनांक